714
24/8/21

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक एफ 7(2)(17)/छा.छा./सा.न्या.एवं अ.वि./21/8879 जयपुर, दिनांक 19-08-21

आदेश

गृह (ग्रुप-7) विभाग के आदेश क्रमांक प.7(1)गृह-7/2021 दिनांक 12.08.2021 द्वारा राज्य के सरकारी/निजी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालयों (कक्षा 9वीं से 12वीं तक) की नियमित शिक्षण गतिविधियों का संचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ दिनांक 01.09.2021 बुधवार से प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है। कक्षा 1 से 8वीं तक की नियमित शिक्षण गतिविधियां आगामी आदेश तक केवल ऑनलाईन माध्यम से संचालित किये जाने हेतु निर्णय लिया गया है।

अतः विभागीय छात्रावासों में प्रथम चरण में कक्षा 9वीं से 12वी एवं महाविद्यालय स्तरीय छात्रावासों में आवासरत/अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु दिनांक दिनांक 01.09.2021 बुधवार से छात्रावासों का संचालन कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में गृह विभाग द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में विभाग द्वारा जारी आदेश 3913 दिनांक 12.01.2021 के अनुसार ही निम्नानुसार किया जाना है।

आवासीय परिसर में रखी जाने वाली सावधानियां के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश :-

1. विभागीय छात्रावासों में कार्यरत स्टाफ को छात्रावास खुलने के 14 दिन पूर्व वैक्सीन की कम-से-कम एक खुराक अनिवार्य रूप से लेनी होगी यह सुनिश्चित किया जावें।
2. छात्रावासों में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों के अभिभावकों की लिखित सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
3. छात्रावासों को खोलने से पूर्व सम्पूर्ण भवन, फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, संग्रहण स्थान, पानी के टैंक, रसोई घर, वाशरूम, प्रयोगशाला, इत्यादि की पूर्ण सफाई एवं कीटाणु रहित कराया जावेगा।
4. कक्षों इत्यादि में हवा का पूर्ण प्रवाह रहें यह सुनिश्चित किया जावें।
5. हाथ धोने के पर्याप्त उपकरण उपलब्ध हों सुनिश्चित किया जावें।
6. छात्रावास खोले जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावेगा कि विद्यार्थियों हेतु कीटाणुनाशक/सेनेटाईजर/साबुन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों सुनिश्चित किया जावें।
7. छात्रावास खोले जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावेगा कि विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था ऐसी हो कि परस्पर बैठने की दूरी 2 गज रखी जावे। स्टाफ रूम, कार्यालय, परिसर एवं अन्य स्थानों पर सामाजिक दूरी बनाये जाने हेतु पर्याप्त व्यवस्था की जावें।
8. छात्रावासों में विद्यार्थियों के शयन कक्ष में दो पलंग की बीच की दूरी 2 गज से अधिक होगी सुनिश्चित किया जावें।
9. विभागीय जिलाधिकारी/सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/छात्रावास अधीक्षक का यह दायित्व होगा, कि वह विद्यार्थियों, अभिभावकों, स्टाफ को कोरोना वायरस सम्बन्धी चुनौतियों एवं उनकी भूमिका के बारें में विस्तृत रूप से जागरूक करेंगे।
10. आवासीय परिसर में यथा स्थान सामाजिक दूरी बनाये रखने, हाथ धोने एवं मास्क सम्बन्धी पोस्टर, संदेश, स्टीकर लगाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
11. आवासीय परिसर में स्वागत कक्ष, पानी पीने के स्थान, हाथ धोने के स्थान, खाना खाने के स्थान पर निश्चित दूरी पर सर्किल (मार्किंग सर्किल) किया जावेगा।
12. आवासीय परिसर में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। (नो मास्क, नो एन्ट्री की पालना आवश्यक होगी)

E:\Letter.docx 645

13. आवासीय परिसर में किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई भी वस्तु बिना वेरिफिकेशन के प्राप्त नही की जा सकेंगी।
14. आवासीय परिसर में आने वाले सामान को बिना सेनेटाईजेशन के छात्रावास में नही लाया जावेगा।
15. यह सुनिश्चित किया जावेगा, कि सभी विद्यार्थी ऐसी किसी सतह जो सार्वजनिक सम्पर्क में है को छूने के उपरान्त साबुन व पानी से हाथ धोये एवं सेनेटाईजर का उपयोग करें, इस हेतु यथा स्थान पोस्टर/स्टीकर लगाये जायेंगे।
16. आवासीय संस्थान में विद्यार्थी अपने कक्ष के अतिरिक्त अन्य विद्यार्थियों के कक्ष में प्रवेश नही करेंगे।
17. छात्रावास परिसर के मुख्य गेट से प्रवेश करने वाले सभी विद्यार्थियों एवं कार्यरत स्टाफ के हाथ सेनेटाईज किये जाने के उपरान्त ही परिसर में प्रवेश हो सकेंगे।
18. आपातकालीन स्थिति में तुरन्त चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करवाई जावेगी।
19. आवासीय परिसर में किसी छात्र या स्टाफ के सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण प्रकट होने पर उसे तुरन्त आईसोलेट किया जाकर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी। इस हेतु पृथक हॉल/कक्ष की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

मैस व्यवस्था के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश :-

1. विद्यार्थियों को मैस (भोजन कक्ष) में एकत्रित होकर भोजन करने के स्थान पर अपने कक्ष में ही भोजन करने हेतु प्रोत्साहित किया जावेगा।
2. विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त होने वाले खाने के बर्तनों को अन्य विद्यार्थियों से आदान-प्रदान नही कर सकेंगे।
3. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रतिदिन रसोई (खाना बनाने का स्थान, बर्तन धोने का स्थान) अच्छी तरह से साफ किया जावे एवं सेनेटाईज किया जावें। यह भी सुनिश्चित किया जावे की गन्दा पानी एक जगह एकत्रित न हों।
4. मैस (भोजन कक्ष) में विद्यार्थियों के बैठने के स्थान को प्रतिदिन धुलाया जावे एवं फर्निचर को सेनेटाईज किया जावें।
5. भोजन तैयार करने वाले रसोईया एवं खाना परोसने वाला स्टाफ अनिवार्य रूप से मास्क/हाथ दस्ताने का उपयोग करेंगे।
6. विद्यार्थियों की मैस में एन्ट्री के समय अनिवार्य रूप से साबुन से हाथ धोना/सेनेटाईज करना सुनिश्चित करेंगे
7. कोरोना महामारी को देखते हुए भोजन में आवश्यक पौष्टिक तत्वों की अनिवार्यता पीने के पानी के स्थान की स्वच्छता एवं सामाजिक दूरी का पालन करते हुए भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ओ.पी. बुनकर)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

E:\Letter.docx 646

क्रमांक एफ 7(2)(17) / रा.छा. / सा.न्या.एवं.अ.वि. / 21 / 8880-92 जयपुर, दिनांक 19.08.21

प्रतिलिपिः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, (समस्त).......................।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति एवं छात्रावास) मुख्यावास।
6. अतिरिक्त निदेशक (देवनारायण योजना) मुख्यावास।
7. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, ...।
9. उप निदेशक / सहायक निदेशक / खण्ड सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.......................को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।
10. उप निदेशक (प्रचार) मुख्यावास।
11. संयुक्त निदेशक (एनालिस्ट प्रोग्रामर), मुख्यावास को विभागीय वैब साईट पर अपलोड करवाने हेतु।
12. सहायक निदेशक (छात्रावास) मुख्यावास।
13. आदेश पत्रावली।

19/08/2021

(अनुपम कायल)

अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति एवं छात्रावास)

Programmer (R)

25/8/21

E:\Letter.docx 647